न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
41 / 2019	17 / 07 / 2019	07 / 07 / 2023

1. खेमराज पुत्र रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. चन्द्रकला पुत्री रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. गायत्री पुत्री रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. नरेन्द्र पुत्र धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. प्रमिला पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. संतोष पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
7. ममता पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
8. भूली पुत्री धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
9. ग्यारसीबाई पत्नि कालूलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. वन विभाग जरिए क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

वादीगण द्वारा इस आशय का वाद प्रस्तुत किया गया कि राज्य शासन द्वारा जरिये पिसल संख्या 341 दिनांक 13.12.1961, ग्राम खेड़ा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बारानी भूमि वादीगण के पितृ पुरूष श्री कालू पुत्र लालू जाति कुम्हार निवासी नीमोदा को आवंटित की गई थी। आवंटित की गई भूमि पर लालू को दखल दिला जाकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। कालान्तर में श्रीमान् जिलाधीश (उपनिवेशन) महोदय द्वारा आवंटित भूमि पर कालू को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। इस प्रकार कालू उपरवर्णित भूमि का प्रतिज्ञ खातेदार हो चुका था। उक्त भूमि आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई है। भू–प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041 से 2060 के फलस्वरूप उक्त भूमि के नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 2.51है0 पैमूद किए गऐ। भू–प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041 से 2060 के उपरान्त गत खसरा संख्या 149 रकबा 6 बीघा 14 बारानी भूमि जो है0 में 1.08है0 होती है, के स्थान पर का नवीन खसरा संख्या 333 रकबा 2.51है0 पैमूद कर प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज कर दिया। जबकि कालू एवम् उनके मरणोपरान्त वादीगण, आवंटनशुदा रकबे के मुताबिक ही मौके पर खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08है0 भूमि पर वर्तमान तक शांतिपूर्वक काबिज–काश्त है। कालान्तर में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि मनमाने, अवैध एवम् अधिकारातीत तरीके से वादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किऐ बिना, जरिये नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 30.12.2006 प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित कर दी गई। जबकि वादीगण मौके पर विवादित खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08है. भूमि पर वर्तमान में भी शांति – पूर्वक काबिज–काश्त है। कालू की मृत्यु हो चुकी है एवम् वादीगण उनके विधिक प्रतिनिधि है। भू–प्रबन्धन विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है कि वह उक्तानुसार वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की गत खसरा संख्या 149 की रकबा 6 बीघा 14 भूमि (जो है. में 1.08है0 होती है।) को प्रतिवादी संख्या 1 के खाते दर्ज करे। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को भी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है कि वह उक्तानुसार वादीगण की खातेदारी की गत खसरा संख्या 149 की रकबा 6 बीघा 14 भूमि (जो है. में 1.08है0 होती है।) को प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित कर खाते दर्ज करे। इस प्रकार विवादित भूमि बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया आवंटन प्रारम्भतः अकृत एवम् शून्य प्रभावी है। जबकि वादी को

यह विधिक अधिकार प्राप्त हैं कि वह इस सक्षम सम्मानीय न्यायालय की सहायता से ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 है0 भूमि स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाऐं। प्रतिवादी क्रम 2 विवादित भूमि में स्वयं के अंकन का अनुचित लाभ उठाकर विवादित भूमि पर से वादीगण को वंचित कर जबरन बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा इस वर्ष माह मई में वादीगण को विवादित भूमि पर स्वयं की खातेदारी का लाभ उठाकर उसे बेदखल करने की धमकी दी गई। इस परिस्थिति में वादीगण के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण को ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा संख्या 333 की रकबा 1.08 है. का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 1 को प्रदान किया जावे। प्रतिवादी क्रम 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं अथवा जरिऐ प्रतिनिधि विवादित भूमि में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई । प्रतिवादी क्रम–2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में दावे में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुये विशेष विवरण में कथन किया गया कि वादीगण द्वारा सूचना नोटिस अर्न्तगत धारा 80 सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से वाद–पत्र इम्मेचोर (अपरिपक्व) होने से पोषणीय नहीं है। जो स्वतः काबिल खारिजी है। प्रस्तुत वाद में उल्लेखित खसरा संख्या 149 का कुल क्षेत्रफल राजस्थान राजपत्र के अनुसार 50 बीघा 16 बिस्वा निहित है। जो राजस्थान राजपत्र कि प्रथम अनुसूची (वन भूमि बंजर भूमि) द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष) में दर्ज है एवं वाद पत्र वर्णित खसरा संख्या 149 का नवीन खसरा संख्या 333 बताया गया है। वह राजस्व रिकार्ड के मुताबिक गलत है। उक्त खसरा संख्या 149 के नवीन ख0स0 292, 293 है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उल्लेखित हाल खसरा संख्या 333 दर्शाया गया है। वह गत ख0 न0 117, 147, 148 से बना है एवं खसरा संख्या 333 वर्तमान में गै0मु0 जंगलात दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

अतैव वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में राजस्व रिकार्ड का गलत अंकन होने से उक्त वाद–पत्र स्वतः खारिज किये जाने योग्य है।

खाबिक खसरा न0	हाल खसारा न0
149	292, 293
117, 147, 148	333

एवं उक्त खसरा न0 333 रकबा 2.51है गै0 भूमि जगंलात (खाता वन विभाग) वर्तमान में राजस्व विभाग में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी (राजस्थान राजपत्र) की फोटो प्रति साथ संलग्न है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का (स्तत्व) स्पष्ट नहीं होने पर दर्ज वाद–पत्र काबिल खारिजी है। अन्त में वाद खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वादीगण द्वारा सम्पूर्ण आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसे शामिल मिसल किया गया। दौराने वाद वादीगण द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खेडा की वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा संख्याा 333 है। प्रतिवादी वन विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 333 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल वादीगण के पूर्वजों को आवंटित भूमि से नहीं बना है जबकि वादीगण आवंटन के समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए सेटलमेंन्ट से पूर्व व सेटलमेंन्ट के बाद के नक्शे के अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 333 की मौके व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। जिस पर तहसीलदार पीपल्दा से ग्राम खेडा की वर्तमान खसरा संख्या 333 की मौके व रिकार्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई।

प्रकरण में गठित राजस्व टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खेडा के वर्तमान ख.न. 333 रकबा 2.51है. किस्म गै.मु. जंगलात वन विभाग के खाते दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा संख्या 333 रकबा 2.51है. के साबिक खसरा संख्या 117 मि0 147 मि0 व 148 मि0 से बना है। परन्तु श्रीमान के आदेशानुसार जब पुराने नक्शे (सेटलमेन्ट पूर्व के नक्शे) को वर्तमान नक्शे (हाल सेटलमेन्ट) पर (सुपरइम्पोज) करके देखा गया तो स्पष्ट होता है कि खसरा संख्या 333 में

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

पुराने ख0स0 149 का रकबा भी सम्मिलित है। उक्त भूमि वादी के दादा को दिनांक 13/12/1961 को आवटंन हुई। मुताबिक रिकार्ड वादी को ख0स0 420/117 की 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी, जिसका ख0स0 420/117 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी चाहरुम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में वादी उसी भूमि पर काबिज है जहां उसे आंवटन के समय दखल किया गया था। उक्त भूमि का रकबा वर्तमान में ख0स0 333 का ही भाग है। उक्त भूमि का पर्चा मौका सलंग्न है, साथ ही उक्त भूमि आस–पास के खसरा नम्बरान का पुराने व नवीन नक्शों से मिलान किया गया विवरण निम्न प्रकार है।

वर्तमान ख0 न0	नक्शे के अनुसा ख0न0	मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0न0
332	116,117,420/117	116
334	117, 147,148	146,147,148
335	116,117	147, 148, 149
336	117, 118	117, 118
295	149मि0	147मि0
29	149मि0	421/147 मि0

उपरोक्तानुसार नम्बरों का बनना स्पष्ट पाया गया।

पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व टीम के संयुक्त सर्वे कर रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के दादा कालू पुत्र लालू जाति कुम्हार निवासी नीमोदा को ग्राम खेडा की ख0स0 420/117 की 3 बीघा 5 बिस्वा कृषि आराजी बारानी भूमि आवंटित हुई थी जिस पर बाद में कालू को खातेदारी अधिकार भी प्रदान कर दिये गये। सेटलमेंन्ट विभाग द्वारा गलत मिलान क्षेत्रफल बनाते हुये उक्त आराजी खसरा संख्या 333 सिवाय

उप खण्ड अधिकारी कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

"1"

अंतिम डिक्री मुकदमा इस्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फारेस्ट ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
41 / 2019	17 / 07 / 2019	07 / 07 / 2023

1. खेमराज पुत्र रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. चन्द्रकला पुत्री रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
3. गायत्री पुत्री रतनलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
4. नरेन्द्र पुत्र घन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
5. प्रमिला पुत्री घन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
6. संतोष पुत्री घन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
7. ममता पुत्री घन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
8. भूली पुत्री घन्नालाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
9. ग्यारसीबाई पत्नि कालूलाल जाति कुम्हार निवासी नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)
2. वन विभाग जरिए क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा तह. पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण को ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की खसरा संख्या 333 की रकबा 0.53है0 कृषि आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण के कब्जे के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुये रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डिकी मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 07/7/2023 ..... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूपयै	रूपयै
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	मेंहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

अंजना सहरावत
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
इटावा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा